July - Sept., 2014

Rajasthan Police Academy

News Letter

इस अंक में ...

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के मुखियाओं की अखिल भारतीय संगोष्ठी
उचित एवं पर्याप्त आधार पर हो गिरफ्तारी
संगठित अपराधों पर वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स
एटीए प्रशिक्षण
सुपरवाईजरी अधिकारियों की अनुसंधान पर्यवेक्षण पर कार्यशाला

निदेशक की कलम से ...

पुलिस कार्य को जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के प्रयास लम्बे समय से चलते आ रहे हैं। पुलिस को जनमित्र पुलिस बनाने एवं प्रतिक्रियावादी रवैये के स्थान पर सकारात्मक सोच वाली पुलिस बनाने एवं शासक के स्थान पर सेवक समझने की मानसिकता से वांछित सुधार सम्भव है। यद्यपि इस मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है परन्तु अपेक्षित गति से नहीं। यह परिवर्तन तब सम्भव है, जब हम पीड़ित के कार्य को बोझ नहीं समझ कर मुस्कुराहट के साथ सेवार्थ कटिबद्धता के भाव से त्वरित व न्यायसम्मत कार्य करें।

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की 33वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुलिस विषयों पर अनेक प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। आपसी विचार-विमर्श के पश्चात् प्रतिभागियों में यह आमराय दिखाई दी कि आने वाले समय में हम पुलिस को जन अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सफल होंगे। जब बहुत से लोग मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं तथा नई राह तलाशने के लिये निकल पड़ते हैं, तो राह अपने आप बनती चली जाती है।

पुलिस की अच्छी कार्य प्रणाली की बात करना सिर्फ आदर्श बातें नहीं हैं अपितु यह जनता की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है। हमारी पुलिस विकसित देशों की पुलिस के समान दक्ष हो तथा जन सेवा में भी पुलिस की प्रतिक्रिया प्रजातान्त्रिक होने के साथ ही मानवीय गरिमा के अनुरूप हो तो जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस की छवि बनाना सम्भव होगा। वर्तमान में पुलिस के सामन्ती अवशेषों को त्याग कर प्रजातान्त्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस छवि बनाने के सम्बन्ध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के मुखियाओं की अखिल भारतीय संगोष्ठी

राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दिनांक 01.09.2014 से 03.09.2014 तक आयोजित की गई। इससे पूर्व राजस्थान में वर्ष 1968 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के तत्वाधान में इस तरह की संगोष्ठी माउन्ट आबू में आयोजित की गई थी। संगोष्ठी के उद्‌घाटन सत्र में राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के पधारने पर अकादमी में उनका भव्य स्वागत किया गया। उद्‌घाटन सत्र में श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने अपने उद्‌बोधन में माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि संगोष्ठी में प्रतिभागियों के विचारों से पुलिस प्रशिक्षण के लिये नये विचारो का उद्‌भव होगा। श्री राजन गुप्ता, महानिदेशक पुलिस, बी.पी.आर एण्ड डी. ने संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सुनील अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने पुलिस की क्षमता संवर्धन के लिये प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अकादमी द्वारा पुलिस प्रशिक्षण में किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।

संगोष्ठी के उद्‌घाटन सत्र में बोलते हुये माननीय मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों में शारीरिक श्रेष्ठता के साथ ही मानसिक उत्कृष्टता पर बल दिया। उन्होंने देश एवं प्रदेश के समक्ष प्रमुख चुनौतियों अर्थात आतंकवाद, साईबर अपराध, माओवाद आदि का उल्लेख करते हुये प्रशिक्षण में नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया तथा आधुनिक हथियारों की उपलब्धता को भी आवश्यक बताया। उन्होने कहा कि आमजन की पुलिस से अपेक्षायें बढ़ती जा रही हैं तथा पुलिस को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। उन्होने परानुभूति रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए जबावदेही तथा जनता के साथ अच्छे सम्बन्धों पर भी बल दिया। उन्होने प्रशिक्षण में नवीन तकनीक की आवश्यकता बताते हुए वर्चुअल क्लास जैसी आधुनिक तकनीक एवं संचार के संसाधनों के उचित प्रयोग को समझने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होने कहा कि प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से ही पुलिस को चुनौतियों से मुकाबला करने के लिये सक्षम बनाया जा सकता है।

इस संगोष्ठी में 80 से अधिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण नीति, प्रशिक्षण में नवाचार, प्रशिक्षण सिखलाई में आवश्यक कौशल वृद्धि, संसाधनों एवं तकनीक की जानकारी आदि पर विचार करना था। पुलिस प्रशिक्षण को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक एवं जबावदेह बनाना तथा साईबर अपराधों एवं आतंकवाद से सम्बन्धित मामलों के अनुसंधान में क्षमता संवर्धन किया

जाकर श्रेष्ठ कार्य विधियां अपनाना भी संगोष्ठी का लक्ष्य रखा गया।

संगोष्ठी में विभिन्न प्रमुख वक्ताओं ने अपने–अपने राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण में अपनाई जा रही विधियों एवं नवाचारों के सम्बन्ध में अनुभव साझा किये। बीपीआरएण्डडी के महानिदेशक, श्री राजन गुप्ता ने पुलिस के सामने मौजूदा एवं भविष्य की चुनौतियों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाये जाने पर बल दिया। श्री राजेन्द्र कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने प्रशिक्षण की जरूरतों एवं उद्देश्यों को जानना आवश्यक बताया। उन्होंने अपराधों के तरीके बदलने के अनुसार ही पुलिस की कार्यशैली एवं अनुसंधान के तरीके बदलने पर बल दिया। श्री कमलेन्द्र प्रसाद, महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, उत्तरप्रदेश ने देश में स्थापित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक बेहत्तर बनाने पर बल दिया। उन्होंने प्रशिक्षण में रूढ़िवादी व परम्परागत तरीकों से प्रशिक्षण के स्थान पर नवीन व लीक से हटकर प्रयोग करने पर बल दिया। इस अवसर पर बोलते हुये श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिये आधुनिक अनुसंधान तकनीक के साथ ही परम्परागत तरीकों के द्वारा भी प्रशिक्षण दिये जाने का सुझाव दिया।

संगोष्ठी के समापन सत्र में श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री भारत सरकार पधारे जिनका अकादमी में भव्य स्वागत किया गया। समापन सत्र में बोलते हुये श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने श्री राजनाथ सिंह का भारत सरकार के गृह मंत्री बनने के पश्चात् राजस्थान के प्रथम दौरे पर संगोष्ठी में पधारने पर स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। श्री राजन गुप्ता महानिदेशक, बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा संगोष्ठी का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण हमेशा उपेक्षित रहा है तथा आधारभूत सुविधाओं एवं प्रोत्साहन के अभाव में प्रतिभाशाली प्रशिक्षक प्राप्त करना मुश्किल होता है। उन्होने प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की आवश्यकता बताते हुए विदेशी पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं से समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर बोलते हुए विशिष्ठ अतिथि श्री अरूण चतुर्वेदी, माननीय राज्य मंत्री

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान सरकार ने कहा कि यथार्थ परक विचारों से पुलिस को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।

समापन सत्र में बोलते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा माओवाद, आतंकवाद एवं विद्रोही शक्तियों से निपटने के लिये व्यापक नीति तैयार की जा रही है। इस हेतु पुलिस के वर्तमान एवं सेवानिवृत अधिकारियों से गम्भीर मंथन जारी है। उन्होने पुलिस की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तरप्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा माओवाद के प्रभाव में था, परन्तु पुलिसकर्मियों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप माओवाद की समस्या को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। उन्होने परीक्षाओं में नकल पर नियंत्रण करने में भी पुलिस की भूमिका की सराहना की। माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने पर बल दिया तथा प्रशिक्षण संस्थानो में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों को एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने गृह मंत्री पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए राजस्थान पुलिस अकादमी में देश का प्रथम 'जेन्डर सेन्सेटाईजेशन' सेन्टर खोले जाने की भी घोषणा की, जिसका सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। अन्त में निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी प्रतिभागियों ने अकादमी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सराहा तथा महानिदेशक बीपीआरएण्डडी ने संगोष्ठी को अब तक की सफलतम संगोष्ठी करार दिया।

स्वाधीनता दिवस

राजस्थान पुलिस अकादमी में 68 वां स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष की भांति पूर्ण भव्यता के साथ एवं समारोहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अकादमी परिसर में सजावट की गई तथा विभिन्न स्थानों पर रंगोली भी बनाई गई। प्रातः 08.00 बजे मुख्य समारोह अकादमी के स्टेडियम में शुरू हुआ जिसमें श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। समारोह में अकादमी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रशिक्षु एवं अकादमी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक शामिल हुये। इस अवसर पर बोलते हुये अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुये अकादमी को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिये पूर्ण मनोयोग एवं कटिबद्धता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने देश के समक्ष विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में पुलिस की भूमिका का उल्लेख करते हुये प्रशिक्षण की गुणवत्ता को महत्त्वपूर्ण बताया।

इस अवसर पर निदेशक महोदय ने अकादमी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नगद इनाम व प्रशंसा पत्र भी प्रदान किये। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में इण्डोर प्रशिक्षण तथा विशिष्ट कोर्सेज में उत्कृष्ट कार्य के लिये श्री मुकेश यादव निरीक्षक पुलिस एवं श्री सुरेन्द्र पंचौली उपनिरीक्षक पुलिस को, आउटडोर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिये श्री भीमसिंह हैड कांस्टेबल, श्री हवासिंह हैड कांस्टेबल एवं श्री खेम चन्द हैड कांस्टेबल, सीडीपीएसएम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्री कमल सिंह हैड कांस्टेबल, मैस प्रबन्धन के लिये श्री सम्पत सिंह कांस्टेबल, पीटीआई के रूप में सराहनीय कार्य के लिये श्री विक्रम सिंह कांस्टेबल व श्रीमती कमोद मीणा महिला कांस्टेबल, स्टोर प्रबन्धन के लिये श्री सरदार सिंह कांस्टेबल, एमटी शाखा में बेहतर कार्य के लिये श्री इन्द्राज कांस्टेबल, बैण्ड के लिये श्री सूबे सिंह, बेहतर कम्प्यूटर कार्य के लिये श्री रमेश कांस्टेबल व श्रीमती सुनिता शर्मा महिला कांस्टेबल, रिसाला में अच्छा कार्य करने के लिये श्री कमलेश कुमार कांस्टेबल एवं इण्डोर विंग में बेहतर कार्य के लिये श्री नरेन्द्र सिंह कांस्टेबल शामिल हैं।

अकादमी में पदस्थापित अन्य कर्मचारियों को भी इस अवसर पर प्रंशसा पत्र प्रदान किये गये जिनमे जनरल शाखा के श्री दिनेश कुमार शर्मा वरिष्ठ लिपिक, चिकित्सालय में सराहनीय कार्य के लिये श्रीमती शारदा राव, रिसाला में सराहनीय कार्य के लिये श्री परमेश्वर लाल सईस, मनुसदन मैस में सराहनीय कार्य के लिये श्री कजोड़ मल एवं इण्डोर कक्षाओं एवं प्रशासनिक भवन में साफ–सफाई के लिये श्री पवन कुमार फर्रास, श्री मोहम्मद शब्बीर कुक एवं तुलसी राम वाशरमैन को भी प्रंशसा पत्र प्रदान किये गये। समारोह के पश्चात् सम्मानित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अन्य अधिकारियों के लिए मनुसदन में अल्पाहार रखा गया जिसमें अकादमी के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी पसंद के देशभक्ति गीत सुनाये।

क्रिकेट मैच

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह के पश्चात् स्टाफ एवं प्रशिक्षुओं के बीच क्रिकेट अथवा फुटबाल मैच का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष स्टाफ व प्रशिक्षुओं के बीच क्रिकेट मैच रखा गया जिसमें अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उपनिरीक्षक पुलिस एवं कांस्टेबल के विरुद्ध अकादमी स्टाफ ने क्रिकेट में अपना दम खम दिखाने का प्रयास किया। गत कई वर्षों से अकादमी स्टाफ मैच में विजेता रहता आया है। इस वर्ष युवा एवं क्रिकेट के शौकीन प्रशिक्षुओं की बड़ी संख्या होने के कारण स्टाफ का अनुभव लड़खड़ाता नजर आया। स्टाफ की टीम का नेतृत्व श्री धीरज वर्मा उप निरीक्षक कर रहे थे वहीं प्रशिक्षुओं का नेतृत्व श्री कमलदान उप निरीक्षक प्रशिक्षु द्वारा किया गया। टीम के सदस्यों का निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी से औपचारिक परिचय के पश्चात् टॉस किया गया जिसमें स्टाफ टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। स्टाफ की तरफ से सर्वाधिक रन श्री दीपेन्द्र सिंह चंपावत, पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा बनाये गये। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में श्री दीपक भार्गव, सहायक निदेशक प्रशासन एवं श्री आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक आउटडोर थे। स्टाफ की टीम कुल 75 रन पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुये प्रशिक्षुओं ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तथा जल्दी ही लक्ष्य के करीब पहुँच गए परन्तु आखिर में उसके खिलाड़ी भी सस्ते में आउट होने लगे। एक ओवर शेष रहते हुये प्रशिक्षु टीम ने जीत दर्ज की जिसका श्रेय प्रशिक्षु टीम के कमलेश उप निरीक्षक को जाता है, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाये। धीमी पिच पर खेले गये इस मैच में फास्ट बॉलर के स्थान पर स्पीनर हावी रहे। स्पिन गेंदबाजी के आगे कई खिलाड़ी सस्ते में ही पेवेलियन लोटते नजर आये। स्टॉफ टीम के कप्तान श्री धीरज वर्मा उप निरीक्षक ने सर्वाधिक चार विकेट लिये। स्टाफ टीम में श्री आलोक श्रीवास्तव अन्त तक क्रीज पर जमे रहे। गत 5–6 वर्ष के विभिन्न मुकाबलों में यह प्रथम अवसर था जब प्रशिक्षु टीम स्टाफ टीम पर हावी रही। नई पीढ़ी में क्रिकेट के प्रति ज्यादा जुनून होने के कारण और उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं का बड़ा बेच होने के कारण ही अनुभव पर जोश की जीत हुई।

प्रशिक्षु उप निरीक्षकों द्वारा क्रिकेट मैच की रौचक कॉमेन्ट्री पेश की गई जिसमें पुलिस एवं प्रशिक्षण में प्रयोग किये जाने वाले जुमलों से सभी का भरपूर मनोरंजन किया गया।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को सेवा चिन्ह

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये सेवाचिन्ह प्रदान किये गये। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को विभिन्न श्रेणी के सेवाचिन्ह प्रदान किये जाते हैं। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उत्कृष्ट सेवा अभिलेख के आधार पर उत्तम सेवाचिन्ह प्रदान किया जाता है तथा उत्तम सेवाचिन्ह प्राप्त होने के तीन वर्ष बाद अति उत्तम सेवाचिन्ह व अति उत्तम सेवाचिन्ह प्राप्त होने के सात वर्ष बाद सर्वोत्तम सेवाचिन्ह प्रदान किया जाता है। उत्तम सेवाचिन्ह प्राप्त करने के लिये किसी भी अधिकारी की 10 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी अथवा कर्मचारी को ही पात्र माना जाता है। अति उत्तम सेवा चिन्ह तथा सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के लिये भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ही मुख्य आधार होती है। वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त उक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी का सेवा अभिलेख बेदाग होना चाहिये तथा उसका सम्बन्ध इस प्रकार की कार्यवाही से नहीं होना चाहिये जिसकी न्यायालय द्वारा भर्त्सना की गई हो।

इस वर्ष सर्वोत्तम सेवाचिन्ह अकादमी में पदस्थापित हैड कांस्टेबल श्री रमेश चन्द, श्री रोहिताश सिंह, श्री दीप सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री समुद्र सिंह एवं श्री नेतराम को प्रदान किये गये। अति उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वालों में हैड कांस्टेबल श्री रजवन्त सिंह, श्री कैलाश चन्द, श्री कुरड़ा राम, श्री गिरधारी सिंह एवं श्री हनुमान प्रसाद के अतिरिक्त कांस्टेबल श्री नाहर सिंह, श्री बीरबल राम, श्री पुष्करराज, श्री सतीश कुमार, श्री सत्यभान, श्री रमेश कुमार एवं श्री बलबीर सिंह भी शामिल थे। उत्तम सेवाचिन्ह प्राप्त करने वालों में कम्पनी कमाण्डर श्री ज्ञान चन्द, श्री ज्ञान सिंह एवं श्री जितेन्द्र कुमार के अतिरिक्त श्री राजवीर सिंह हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल श्री सुनिल कुमार, श्री गंगासहाय, श्री नरेश कुमार, श्री शकील अहमद, श्री रोहिताश कुमार, श्री महेश कुमार, श्री राजकुमार एवं श्री राजेन्द्र सिंह शामिल थे।

अकादमी परेड ग्राउण्ड में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी द्वारा उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवाचिन्ह प्रदान किये गये तथा इनके सम्मान में मनुसदन में अल्पाहार का आयोजन किया गया।

उचित एवं पर्याप्त आधार पर हो गिरफ्तारी

गिरफ्तारी होने से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता ही बाधित नहीं होती है अपितु इससे मानवीय गरिमा को भी ठेस पहुँचती है। गलत गिरफ्तारी चाहे पुलिस द्वारा अधिकारों के निरंकुश प्रयोग से हुई हो या सम्बन्धित पक्षों द्वारा बदले की भावना से करवाई गई हो, इसका दंश लम्बे समय तक जहन पर रहता है। निर्दोष व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़े, यह प्रजातांत्रिक अधिकारों का उपहास ही कहा जायेगा। महिलाओं एवं दलितों के संरक्षण के लिए बनाये गये कानूनों के दुरूपयोग रोकने की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पीड़ित को राहत से ज्यादा निर्दोष की गिरफ्तारी के लिए ज्यादा दबाव बनाया जाता है। कई बार गिरफ्तारियां किसी व्यक्ति को दबाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए और निरंकुशतापूर्वक बिना उचित एवं पर्याप्त आधार पर की जाती है। इस पर अंकुश के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 क जोड़ने के पश्चात् अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है।

अब सात वर्ष तक की सजा के मामलो में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये धारा 41(1)(ख)(II) दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार मुल्जिम को गिरफ्तार करने या नहीं करने अर्थात् दोनों ही स्थितियों के कारण लेखबद्ध करना एवं उसका औचित्य बताना आवश्यक होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अरनेस कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। इस मामले में वादी के विरुद्ध उसकी पत्नी द्वारा धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा वैवाहिक प्रकरणों में बढ़ते हुए विवादों का उल्लेख करते हुये गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेष सावधानियाँ रखने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार गिरफ्तारी से व्यक्ति प्रताड़ित होता है, उसकी स्वतन्त्रता पर अंकुश लगता है तथा उसकी हमेशा के लिये छवि खराब होती है। निर्णय में अंकित किया गया है कि पुलिस को प्रताड़ित करने के हथियार के रूप में काम में लिया जाता है। अतः गिरफ्तारी करते वक्त पूर्ण सावधानी रखने के निर्देश दिये गये हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1)(बी)(ii) गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है जिसमें प्रावधान किया गया है कि जब पुलिस अधिकारी को यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी—(क) ऐसे व्यक्ति को कोई ओर अपराध करने से निवारित करने के लिये; या (ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिये; या (ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिये; या (घ) उस व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे मामले को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके, निवारित करने के लिये; या (ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, आवश्यक है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय कारणों को लेखबद्ध करेगा। उपर्युक्त पांच परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति के होने पर गिरफ्तारी के लिये अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय को संतुष्ट करने लायक आधार बताने होंगे। निर्णय में सभी राज्य सरकारों को पुलिस अधिकारियों के लिए यह निर्देश देने के लिये लिखा गया है कि 498 ए में पंजीबद्ध प्रकरणों में जल्दबाजी में गिरफ्तारी नहीं की जावे तथा गिरफ्तारी की आवश्यकता के सम्बन्ध में धारा 41 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार संतुष्ट होने पर ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये है। निर्णय में अन्य निर्देश भी दिये गये हैं, यथाः—

सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1)(बी)(ii) के प्रावधानों के अनुसार चैकलिस्ट दी जावे।

पुलिस अधिकारी अभियुक्त को निरुद्ध रखने के लिये मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते वक्त चैक लिस्ट भरकर देगा तथा गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो को लिखेगा जिसके लिये गिरफ्तारी आवश्यक है।

शेष पृष्ठ 12 पर .....

संगठित अपराधों पर वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 22.09.2014 से 27.09.2014 तक संगठित अपराधों पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का वर्टिकल इन्टरेक्शन कोर्स आयोजित किया गया। इस कोर्स में पुलिस अधीक्षक से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के देशभर से आये विभिन्न पुलिस संगठनों के 15 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कोर्स के उद्घाटन सत्र में श्री एम. एल. शर्मा, सेवानिवृत्त आईपीएस एवं पूर्व कमीश्नर सीआईसी, प्रमुख वक्ता के रूप में पधारे। इस सत्र में उनके साथ डायस पर श्री अरूण कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, उत्तरप्रदेश भी मौजूद थे। श्री एम. एल. शर्मा का विस्तृत परिचय श्री दीपक भार्गव, सहायक निदेशक प्रशासन, द्वारा दिया गया। इस अवसर पर श्री एम. एल. शर्मा का स्वागत करते हुये श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने उन्हें संगठित अपराधों के मामलों में देश की अगुवा पंक्ति का पुलिस अधिकारी बताया। श्री एम. एल. शर्मा ने अपने भाषण में संगठित अपराध को परिभाषित करते हुये संगठित अपराधों को अर्थव्यवस्था, राजनीति, सद्भाव आदि के लिये गंभीर खतरा बताया। उन्होंने बताया कि पूर्व में संगठित अपराधों का केन्द्र बड़े शहर ही हुआ करते थे लेकिन धीरे–धीरे यह कस्बों तक में फैल गया है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर कोई व्यवस्थित अध्ययन की व्यवस्था नहीं है। पुलिस अधिकारी स्थानीय गैंग आदि की जानकारी रखते हैं परन्तु वह जानकारी अधिकारी के साथ ही चली जाती है, तथा इस प्रकार की गैंग अथवा संगठित अपराधों के व्यवस्थित अभिलेख रखने की व्यवस्था नहीं है। उन्हानें दाऊद इब्राहिम, मुख्तार अंसारी, बबलू श्रीवास्तव, अबू सलेम, अब्दुल करीम तेलगी आदि अपराधियों की अपराध शैली को बताते हुये उनके अपराधों में सरकारी तंत्र के भ्रष्ट अधिकारियों के समर्थन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध के गिरोह के सरगना बाहुबल, धनबल एवं राजनैतिक बल के माध्यम से अपना सम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तथा अपना स्वयं का प्रोटोकोल बना लेते हैं। उन्होंने संगठित अपराधों के ढांचे एवं कार्यशैली को विस्तार से समझाते हुये

उन्हें कानून व्यवस्था, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था के लिये खतरा बताया।

कार्यशाला में श्री अरूण कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ने संगठित अपराधों के कानून व्यवस्था पर प्रभाव तथा उन पर अंकुश के उपाय बताते हुये अपने अनुभव साझा किये। कार्यशाला में श्री भगवान लाल सोनी, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने Inter Organization Co-ordiantion in Combating Organized Crime विषय पर अपने अनुभव साझा किये। श्री भगवान लाल सोनी ने ही आस्ट्रेलिया पुलिस के सूरी हिल्स पुलिस थाने के अनुभव भी बताये।

कार्यशाला के प्रमुख वक्ताओं में श्री डी शिवानन्दन, पूर्व महानिदेशक, महाराष्ट्र भी थे जिन्होंने Underworld Operation – A Threat to National Security and Practical Strategies to Combat Organized Crime पर अपने अनुभव साझा करते हुये संगठित अपराधों से निपटने सम्बन्धी मामलों के अध्ययन भी प्रस्तुत किये। वन्यजीव अपराधों तथा उनसे निपटने के उपाय श्री श्याम भगत नेगी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वाईल्ड लाइफ क्राईम कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा बताये गये।

लेफ्टिनेन्ट जनरल वी.के. आहलूवाहिया ने Naxalism as Organized Crime- Causes and perception, Road Ahead, Strategies to Combat, श्री आरपी सिंह डीडीजी, एनसीबी ने Drug Trafficking in

India, An Over View & Emerging Trends and Strategies to Combat तथा श्री मुक्तेश चन्दर विशिष्ठ पुलिस आयुक्त, यातायात दिल्ली ने Use of Cell Phone, Internet and Computer in Organized Crime- Tips for Successful Investigation, Role of NTRO & Other Agencies विषय पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी अपराधों पर श्री जी एल शर्मा उप महानिरीक्षक पुलिस द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

डिजिटल एवीडेन्स पर श्री साई मनोहर डी.डी. सीबीआई ने तथा गंभीर अपराधों में अभियोजन के महत्व पर श्री उज्जवल निकम, विशिष्ट लोक अभियोजक बम्बई ने अपने–अपने अनुभव साझा किये। श्री निकम ने अभियोजन में सफलता तथा सजा का प्रतिशत बढ़ाने के उपाय बताये।

कार्यशाला के अन्तिम सत्र में माननीय न्यायाधिपति राजस्थान हाईकोर्ट श्री मुनिश्वर नाथ भण्डारी पधारे जिनके समक्ष कोर्स प्रतिभागियों के विभिन्न ग्रुपों द्वारा अपना–अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। समापन सत्र में बोलते हुये अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने कहा कि हमें सामान्य प्रयासों से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती अपितु हमारे अन्दर संगठित अपराधों से लड़ने के लिये जोश होना चाहिये। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुये पुलिस कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर बल दिया तथा टीम भावना को अतिशय महत्वपूर्ण बताया एवं अनुसंधान में तकनीकी के प्रयोग पर भी बल दिया। माननीय न्यायाधिपति श्री मुनिश्वर नाथ भण्डारी ने संगठित अपराधों को गंभीर खतरा बताते हुये उनसे निपटने के लिये उपलब्ध कानून को अपर्याप्त बताया। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट भी संगठित अपराधों की श्रेणी में बताते हुये इससे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख किया।

झलकियाँ

एटीए प्रशिक्षण

गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं अमेरिकी दूतावास के सौजन्य से एन्टी टेरेरिस्ट असिस्टेंस के रूप में राजस्थान पुलिस अकादमी में तीसरा प्रशिक्षण 'इन्वेस्टिगेटिंग टेरेरिस्ट इन्सीडेन्टस' विषय पर दिनांक 14.07.2014 से 25.07.2014 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी के साथ ही अमेरिकी प्रशिक्षकों की टीम जिसमें लीड इन्सट्रक्टर श्री फ्रेंक जे विक्स, स्टाफ इन्सट्रक्टर श्री ग्रान्ट थॉमस मैक इन्टोस जूनियर, सुश्री सिसिलिया ई वुड्स और अमेरिकी दूतावास के माइकल एस फिटजेराल्ड एवं कोर्स कोर्डिनेटर श्री गुर मोहिन्द्र सिंह शामिल थे। इस अवसर पर श्री भगवान लाल सोनी ने अमेरिकी प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुये आतंकवादी घटनाओं के अनुसंधान पर प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होने घटना स्थल प्रबन्धन, वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य एकत्रित करना, घायलों से पूछताछ आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। एटीए प्रशिक्षण इससे पूर्व भी 'सर्वेलेन्स फॉर लॉ इन्फोर्समेन्ट' तथा टेक्टिकल कमाण्डर्स कोर्स विषय पर आयोजित किये जा चुके हैं। आतंकवाद से सम्बन्धित मामलों में अमेरिकी प्रशिक्षकों द्वारा भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाकर उन्हें आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिये विभिन्न तकनीक की जानकारी प्रदान की जाती है।

एटीए प्रशिक्षण का उद्धेश्य अनुसंधान अधिकारियों को आतंकवादियों की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्यवाही करना सिखलाना था। आतंकवाद की घटनायें विभिन्न आतंकवादी संगठनो द्वारा अलग– अलग विधाओं से अंजाम दी जाती हैं। अनुसंधान अधिकारियों के लिये आवश्यक है कि उन्हें अनुसंधान की नवीनतम तकनीक की जानकारी के साथ ही इस प्रकार के प्रकरणों में योजना बनाना, व्यवस्थित अनुसंधान करना, अपराधियों द्वारा कारित घटनाओं के विश्लेषण हेतु प्रबन्धन करना, आसूचनाओं का उचित स्तर पर प्रेषण करना, विभिन्न पुलिस संगठनों में समन्वय करना, आदि की जानकारी होनी चाहिए। घटनास्थल पर अनुसंधान, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, अनुसंधान पत्रावली तैयार करना तथा आतंवादियों के सम्बन्ध में प्राप्त आसूचना का विश्लेषण करना अतिशय महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण में अनुसंधान अधिकारी को मीडिया के साथ काम करना तथा स्थानीय लोगों से सामंजस्य बैठाना भी सिखाया गया।

प्रशिक्षण में अनुसंधान अधिकारियों को आधुनिक आतंकवादी घटनाओं के खतरों की जानकारी देने के साथ ही खतरों से निपटने के लिये आधुनिक गैजेट्स की जानकारी भी दी गई। इस प्रशिक्षण में देश भर से विभिन्न पुलिस संगठनो से कुल 19 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। अकादमी की ओर से कोर्स समन्वयक श्री सौरभ कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपीए थे। समापन सत्र में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री ओमेन्द्र भारद्वाज पधारे, जिन्होंने भारत के पड़ौसी देशों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों का उल्लेख करते हुये भारत में आतंकवाद को प्रमुख चुनौती बताया। समस्त प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं सार्थक बताया।

पुलिस थाना प्रबंधन

पुलिस में थाना प्रबन्धन एक चुनौतिपूर्ण कार्य है थाना प्रबन्धन के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 12 विषयों अर्थात् मर्डर एवं होमीसाईड प्रकरणों का अनुसंधान, पूछताछ विधियाँ, वीआईपी सुरक्षा, थाना प्रबन्धन, दुर्घटना के मामलों में अनुसंधान, मानव तस्करी के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, बम्ब एवं एक्सप्लोजिव, वेपन एवं टेक्टिस, आर्थिक अपराधों का अनुसंधान, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उच्च तकनीक, साईबर अपराधों का अनुसंधान एवं आसूचना संकलन की कला पर प्रशिक्षण निरन्तर रखने का निर्णय लिया गया है। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य दक्ष अनुसंधान अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ विकसित करना है। भारत सरकार का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रत्येक विषय पर कम से कम दो विषय विशेषज्ञ तैयार करना है। उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों में से तृतीय स्थान तक पाने वाले प्रतिभागियों को अग्रिम प्रशिक्षण के लिये विदेश भिजवाने का भी लक्ष्य है। अतः प्रतिभागियों के परीक्षा परिणाम सावधानी–पूर्वक तैयार किये जाकर प्रतिभागियों से सम्बन्धित अन्य जानकारियां यथा पदस्थापन स्थान, सम्पर्क के लिये मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी एवं प्राप्तांक भी बी.पी. आर.एण्ड.डी. मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि एक से दो सप्ताह रखी गई है।

राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस थाना प्रबन्धन पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण 04.08.2014 से 08.08. 2014 तक आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में कुल 24 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं उत्तराखण्ड से भी पुलिस अधिकारी शामिल हुये।

उक्त प्रशिक्षण में संतरी ड्यूटी एवं लॉक–अप की व्यवस्था, ब्रीफिंग एवं डीब्रीफिंग, कर्तव्य अधिकारी की जिम्मेदारी, प्रथम सूचना एवं परिवाद पंजीयन, अनुसंधान, निरोधात्मक कार्यवाही के लिये विशेषज्ञों की राय, चार्जशीट के लिये चैक लिस्ट की एसओपी आदि विषयों पर प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। अन्य विषयों में पब्लिक ऑरियनटेशन, पुलिस पब्लिक इन्टरफेश, जनमित्र पुलिस, सीएलजी, शान्ति समिति विषयों के अतिरिक्त स्ट्रैस–मैनेजमेन्ट, नेतृत्व, टीम बिल्डिंग एवं प्रेरणा आदि विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई।

पृष्ठ 8 का शेष.......

मजिस्ट्रेट निरुद्ध रखने की अनुमति देने से पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट देखेगा तथा अपनी संतुष्टि के कारण लिखते हुये निरुद्ध रखने की आज्ञा देगा।

प्रकरण दर्ज होने के दो सप्ताह में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करने के कारण मजिस्ट्रेट को संसुचित किये जायेंगे जिसकी अवधि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये बढ़ाई जा सकती है।

धारा 41 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस अभियुक्त को उपस्थित होने बाबत् प्रकरण दर्ज होने के दो सप्ताह में तामील करवाया जायेगा जिसकी अवधि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये बढ़ाई जा सकती है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त सम्बन्धित उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना की प्रक्रिया चलाई जायेगी। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के निर्देशों की पालना में विफल रहने पर भी समान प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। निर्णय के अनुसार उपरोक्त निर्देश 498 ए भा.द.स. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों तक ही सीमित नहीं रहकर उन सभी प्रकरणों में लागू होंगे जिसमें सजा सात वर्ष तक की हो सकती है।

जगदीश पूनियाँ, आरपीएस

सुपरवाईजरी अधिकारियों की अनुसंधान पर्यवेक्षण पर कार्यशाला

पुलिस में पर्यवेक्षण स्तर पर पूर्ण रुचि नहीं लिये जाने के कारण अनेक अपराधों के अनुसंधान में कमियां रह जाती है, जिसके कारण अपराधी न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिये जाते हैं। पुलिस विभाग में अनुसंधान में सुधार के लिये विभिन्न उपाय सुझाये जाते रहे हैं। कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान के लिये अलग–अलग विंग बनाने पर भी विभिन्न स्तरों से कई बार सुझाव प्राप्त हुये हैं। पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिये जाने के कारण विभिन्न प्रकरणों में अनुसंधान में कमी रहने से न्यायालयों में दोषमुक्त होने का प्रतिशत अत्यधिक है। इस सम्बन्ध में 29 जनवरी 2014 को राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागियों ने पर्यवेक्षण अधिकारियों के अनुसंधान के पर्यवेक्षण में लापरवाहीयां व अरुचि दर्शित करने का मामला प्रमुखता से उठाया। कार्यशाला में इन्सरजेन्सी एवं आतंकवाद के प्रकरणों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण को सजा का प्रतिशत बढ़ाने के लिये आवश्यक बताया। उक्त कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारियों में पर्यवेक्षण की क्षमता बढ़ाने पर भी बल दिया गया तथा इस निमित्त प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई।

राजस्थान पुलिस अकादमी में आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टीगेशन पर सुपरवाईजरी अधिकारियों के लिये कोर्स दिनांक 4 अगस्त से 9 अगस्त 2014 तक आयोजित किया गया। इस कोर्स के लिये बीपीआरएण्डडी द्वारा सुझाये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के अतिरिक्त अकादमी में विषयों के चुनाव के लिये गंभीर मंथन किया गया। स्वयं महानिदेशक पुलिस तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण द्वारा भी इस कोर्स को अत्यधिक उपयोगी मानते हुये कोर्स के विषयों के चुनाव में महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

कार्यशाला के दौरान पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिये जिन–जिन विषयों को चुना गया उनमें ''अनुसंधान की सामान्य अवधारणा'' से सत्र की शुरुआत की गई। इस विषय पर श्री अजीत सिंह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्य में महत्व, संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराधों में अनुसंधान, धारा 156 (3) और 202 दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान की प्रक्रिया, घटनास्थल पर की जाने वाली कार्यवाही, अनुसंधान से सम्बन्धित विभिन्न फर्दे, गिरफ्तारी, रिमाण्ड आदि पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने गवाहों के बयान, संदिग्ध व्यक्तियों के बयान, धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता, आरोप पत्र दाखिल करने आदि विषयों पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। विभिन्न सुपरवाईजरी अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण में उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुये उनके द्वारा प्रमुख रूप से ध्यान रखने वाली बातों का भी उल्लेख किया गया। अपने व्याख्यान में उन्होंने प्रतिभागियों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में उचित धाराओं का प्रयोग करना, प्रकरणों के संज्ञेय अथवा असंज्ञेय होने के अनुसार कार्यवाही, घटनास्थल को सुरक्षित रखना, गवाहों को बुलाना, संकलित साक्ष्य को पत्रावली के साथ संलग्न करना एवं आरोप पत्र के साथ लगाना आदि विषयों पर भी जानकारी प्रदान की। उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित नवीन सर्कुलर एवं न्यायिक निर्णयों की जानकारी भी प्रदान की गई साथ ही विभिन्न दृष्टान्तों के माध्यम से भी पर्यवेक्षण अधिकारियों को पर्यवेक्षण के महत्व को समझाया गया।

अनुसंधान के कानूनी पहलूओं पर व्याख्यान के लिये श्री जगदीश लाल सेवा निवृत जिला सेशन न्यायाधीश को बुलाया गया। उनके द्वारा कानूनी शब्दावली यथा कानून की उपधारणा तथा तथ्य की उपधारणा, प्रथम सूचना पंजीबद्ध करने के पश्चात् पुलिस प्रक्रिया की वैधानिकता, पुलिस रिमाण्ड, धारा 156 (3) एवं 202 दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार, न्यायालय में आरोप पत्र अथवा अन्तिम रिर्पोट दिये जाने के उपरान्त पुलिस के अधिकार, अनुसंधान के दौरान धारा को हटाना अथवा जोड़ना, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की विस्तृत व्याख्या, धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में उपधारणा एवं विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों तथा दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में जानकारी साझा की गई। निदेशक अभियोजन श्री डी पी शर्मा द्वारा प्रतिभागियों को अनुसंधान के दौरान रहने वाली सामान्य खामियों के बारे में बताया गया। श्री शंकर लाल ओझा, एसीपी आयुक्तालय जयपुर एवं श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने केस डायरी तथा अन्य मामलो में प्रतिभागियों से जानकारी साझा की तथा केस डायरी अध्ययन डाइजेस्ट रजिस्टर, सुपरवाईजरी नोट आदि पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने आरोप पत्र तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख, पूरक आरोप पत्र, धारा 173(8) एवं 299 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण में स्पेशल क्राईम रिपोर्ट केसेज एवं गंभीर अपराधो में साक्ष्य संकलन पर जानकारी भी प्रदान की गई तथा एक आईडल चार्जशीट तैयार करने, साक्ष्य संकलन एवं गवाहों के बयान तथा गवाही से पूर्व उन्हें साक्ष्य के बारे में दिये जाने वाले निर्देशों के बारे में भी बताया गया। श्री विपिन पाण्डे, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) ने शरीर सम्बन्धी अपराधों में ली जाने वाली साक्ष्य तथा परीक्षण हेतु लिये जाने वाले खून स्लाईवा, वीर्य, बॉडी सिकरेशन के सैम्पल लेने की विधियों, मृतक के शरीर के परीक्षण तथा इस प्रकार के अपराधों में सुपरवाईजरी अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री अनिल पालीवाल, महानिरीक्षक पुलिस ने सम्पति सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य संकलन का तरीका बताते हुये घटनास्थल को सुरक्षित रखने, तरीका वारदात, दस्तावेजों की सत्यता की जॉच, विभिन्न एजेन्सियां में समन्वय, प्रश्नोत्तरी तैयार करना तथा खातों में लेन देन बंद करवाने के तरीको आदि को विस्तार से समझाया। श्री रमेश शर्मा एवं श्री शंकर लाल ओझा द्वारा साक्ष्य विश्लेषण तथा अभियोजन, अपील एवं रिवीजन आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई।

अभियोजन के सम्बन्ध में सुपरवाईजरी अधिकारियों की जानकारी में अभिवृद्धि के लिये श्री एस. सी. क्षोत्रिय, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश ने प्रकरणों में दोषमुक्त होने के प्रमुख कारण तथा अनुसंधान में सामान्य तौर पर रहने वाली कमियों के बारे में बताते हुये सजाओं के प्रतिशत बढ़ाने के उपाय बताये। डॉ. राकेश पूनियाँ वरिष्ठ मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा मेडिको–लीगल परीक्षण से जुड़े विभिन्न मसलों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साईन्स एवं टेक्नोलोजी के सुपरविजन में प्रयोग के सम्बन्ध में श्री गोरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक एससीआरबी जयपुर द्वारा जानकारी प्रदान की गई वहीं अनुसंधान एवं सुपरवीजन से सम्बन्धित जानकारी श्री एस के गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रदान की। श्री राधेश्याम शर्मा सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक एफ एस एल ने अनुसंधान में फोरेन्सिक विज्ञान की अपराध में सहायता तथा अपराध में घटनास्थल, दस्तावेजों एवं अन्य प्रदर्शों के गहन परीक्षण के सम्बन्ध में प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की।

कार्यशाला के अन्य प्रमुख वक्ताओं में श्री डीसी जैन, महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज, डॉ. रवि पुलिस अधीक्षक एसटीएस जयपुर आदि थे। समापन सत्र में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने प्रतिभागियों से पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान पर अपने अनुभव साझा किये। कोर्स समन्वयक श्री सौरभ कोठारी अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक ने अन्त में कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा धन्यवाद ज्ञापन किया।

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लेटर के माध्यम से हम अकादमी एवं राजस्थान पुलिस की गतिविधियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपको जानकारी देते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा अपेक्षित रहेगा। अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करने का श्रम करें।

संपादक

बच्चों की सुरक्षा के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण

बच्चों की सुरक्षा आज पुलिस के सामने प्रमुख चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिये राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के द्वारा कोटा में बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों, सीएलजी सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण 24 से 25 जुलाई 2014 को पुलिस कन्ट्रोल रूम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री राजन दुष्यन्त, पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण ने कहा कि बच्चे अत्यन्त कोमल एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे विधि के साथ संघर्षरत होते हैं, वही बच्चे सुरक्षा के लिए सबसे पहले पुलिस के सम्पर्क में आते हैं। दुर्भाग्य से बच्चे कई बार अवांछनीय व्यवहारों का सामना करते हैं जो मानवीय गरिमा व बाल अधिकारों के अनुकूल नहीं होते हैं। भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाये हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है। अतः पुलिस इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहियों को पूरी संवेदनशीलता से तथा प्राथमिकता से करे। प्रशिक्षण में पधारे विशिष्ठ अतिथि डा. विकास पाठक ने कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों, सीएलजी सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज के बाकी लोगों को भी आगे आना होगा। पुलिस ही बच्चों का सम्पूर्ण पुनर्वास नहीं कर सकती अपितु सीएलजी, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं।

प्रशिक्षण की संयोजक श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, अति. पुलिस अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होने कहा कि इस प्रशिक्षण के द्वारा पुलिसकर्मियों एवं अन्य सभी सम्बन्धित पक्षों को बच्चों के लिये बनाये गये कानूनों की जानकारी देना, बच्चों से व्यवहार की समझ बढ़ाना, बच्चों से सम्बन्धित विषयों पर प्रभावी कार्यवाहियां करना तथा उनके प्रति सभी को संवेदनशील बनाना हैं।

कोटा चाइल्ड लाइन के यज्ञदत्त हाडा ने चाइल्ड लाइन की कार्य–प्रणाली एवं बच्चों के मामले में पुलिस से सहयोग पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण में भगवान दाधीच, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति बारां ने बाल सुरक्षा को चिन्ता का विषय बताते हुए कहा कि साझी रणनीति से ही बच्चों की बेहत्तरी संभव है। उन्होने किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं संशोधन 2006 पर चर्चा करते हुए बाल कल्याण समिति के कार्यो एवं पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया। यूनिसेफ कन्सलटेन्ट विश्वास शर्मा व शालिनी सिंह द्वारा ''एक था बचपन'' फिल्म पर समूह वार्तालाप एवं प्रश्नावली आधारित सत्र लिया गया।

किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2000 एवं संशोधन 2006 सत्र में एक्ट पर चर्चा करते हुए बताया गया कि यह एक्ट बच्चों के लिए कल्याणकारी एवं पुनर्वास पर आधारित बच्चों को सुरक्षा देने वाला है। प्रशिक्षण में धीरज वर्मा उप–निरीक्षक पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा, बाल विवाह, बाल तस्करी एवं बालश्रम को रोकने के लिए वर्तमान वैधानिक प्रावधानों एवं उनके लिए समुदाय आधारित सीएलजी, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी के सदस्यों एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिकाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया।

समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री गोविन्द गुप्ता महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेन्ज ने पुलिस कार्यवाहियों एवं प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हित को सर्वोपरी समझने को अतिशय महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पुलिस अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की।

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Om Prakash (DD)
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)
Saurabh Kothari (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : NJSP, Jaipur # 0141-2365721